राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ–2232/2018/ दिनांक :

–:: आदेश ::–

श्री प्रवीण साद, नर्स श्रेणी–द्वितीय उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर के विरूद्व अस्पताल में भर्ती शिशु की माता के साथ अभद्र व्यवहार/छेडछाड करने के कारण थानाधिकारी खाण्डाफलसा, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 118/2018 दिनांक 26.01.2018 अन्तर्गत जुर्म धारा 341,354,354बी भा0द0सं0 में दिनांक 23.7.2018 को पुलिस थाना खाण्डाफलसा जिला जोधपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया। जो 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहे है, को मेरी राय में इन्हें इनकी गिरफ्तारी तिथि 23.7.2018 से राज्यसेवा से निलम्बित किया जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 13(II) में उल्लेखित प्रावधान के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रवीण साद, नर्स श्रेणी–द्वितीय को इनकी गिरफ्तारी तिथि 23.7.2018 से राज्यसेवा से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– जोधपुर के कार्यालय में रहेगा तथा इन्हें निलम्बन काल में नियमानुसार वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।

क्रमांक : सीबी/एनएस/एफ–2232/2018/1872 दिनांक : 14/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बन पर कार्मिक को मुख्यालय पर उपस्थिति देने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करते हुए आरोपी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण में विभागीय जांच करने हेतु प्राथमिक जांच रिपोर्ट,प्रारूप आरोप पत्रादि, परिशिष्ठ अ,ब,स,द तथा आरोपों को प्रमाणित करने वाले सत्यापित अभिलेख शीघ्र भिजवावें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिक द्वारा मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथी से अवगत करावे एवं यह सुनिश्चित करले कि वे बिना आपकी पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े तथा नियमित रूप से उपस्थिति अंकित करें।
3. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वैबसाईप पर अपलोड कराने का श्रम करें।
4. प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री प्रवीण साद, नर्स श्रेणी–द्वितीय (निलम्बित), द्वारा क्रम संख्या–1
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर।

F:\CB\2017\C B\N.S doc\Order Suspend.doc